मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0
तृतीय तल, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

फैक्स नं0–0522–6666192
फोन नं0–0522–6666162, 63

Email : lkomdm@gmail.com
Website : www.upmdm.org

पत्रांक : म0भो0प्रा0/ 2770 /2013–14 दिनाँक 17 अक्टूबर, 2013

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः विद्यालय स्तर पर मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन की वर्तमान व्यवस्था में विकल्प के रूप में विद्यालय प्रबन्ध समितियों को भी सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में मध्यान्ह भोजन योजना की प्रबन्धकारिणी समिति की दिनांक 11.09.2013 को सम्पन्न हुयी बैठक में योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु विद्यालय स्तर पर योजना के संचालन की वर्तमान व्यवस्था में विकल्प के रूप में विद्यालय प्रबन्ध समितियों को भी सम्मिलित करने पर सहमति प्रदान की गयी है। तत्क्रम में जनपदों से अपेक्षित है कि विद्यालय स्तर पर मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन हेतु पूर्व में निर्धारित कार्यदायी संस्थाओं यथा–ग्राम पंचायत, स्थानीय स्वयं सहायता समूहों (SHGs), महिला समूहों, नेहरू युवा केन्द्र से सम्बन्धित युवा समूहों, अभिभावक संघों (PTA) में विद्यालय प्रबन्ध समितियों को भी सम्मिलित करें।

किसी विद्यालय या विद्यालय समूह में मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन विकल्प के रूप में विद्यालय प्रबन्ध समितियों के माध्यम से कराये जाने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर जिलाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा। विद्यालय प्रबन्ध समिति के माध्यम से योजना का संचालन कराये जाने की स्थिति में विद्यालय स्तरीय मध्यान्ह भोजन निधि का संचालन विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा तथा योजना सम्बन्धी खाद्यान्न को प्राप्त करने तथा उसका उपयोग करने सम्बन्धी कार्य भी उपरोक्त समिति द्वारा किया जाएगा। योजना का संचालन विद्यालय प्रबन्ध समिति को हस्तान्तरित किए जाने की स्थिति में पूर्व कार्यदायी संस्था अपने पास अवशेष खाद्यान्न की मात्रा व परिवर्तन लागत की धनराशि को विद्यालय प्रबन्ध समिति को तत्काल हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करेगी।

भवदीय,

(अमृता सोनी)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एंव दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. **सचिव,** बेसिक शिक्षा, अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन।
2. **समस्त मण्डलायुक्त,** उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त जिलाधिकारी**, उत्तर प्रदेश।
4. **समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),** उत्तर प्रदेश।
5. **समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,** उत्तर प्रदेश।

/

(अमृता सोनी)

निदेशक

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0
तृतीय तल, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

फैक्स नं0–0522–6666192
फोन नं0–0522–6666162, 63
Email : lkomdm@gmail.com
Website : www.upmdm.org

पत्रांक : म0भो0प्रा0 / 2776 / 2013–14 दिनाँक 17 अक्टूबर, 2013

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः विद्यालय स्तर पर मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन की वर्तमान व्यवस्था में विकल्प के रूप में विद्यालय प्रबन्ध समितियों को भी सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में मध्यान्ह भोजन योजना की प्रबन्धकारिणी समिति की दिनांक 11.09.2013 को सम्पन्न हुयी बैठक में योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु विद्यालय स्तर पर योजना के संचालन की वर्तमान व्यवस्था में विकल्प के रूप में विद्यालय प्रबन्ध समितियों को भी सम्मिलित करने पर सहमति प्रदान की गयी है। तत्क्रम में जनपदों से अपेक्षित है कि विद्यालय स्तर पर मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन हेतु पूर्व में निर्धारित कार्यदायी संस्थाओं यथा–ग्राम पंचायत, स्थानीय स्वयं सहायता समूहों (SHGs), महिला समूहों, नेहरू युवा केन्द्र से सम्बन्धित युवा समूहों, अभिभावक संघों (PTA) में विद्यालय प्रबन्ध समितियों को भी सम्मिलित करें।

किसी विद्यालय या विद्यालय समूह में मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन विकल्प के रूप में विद्यालय प्रबन्ध समितियों के माध्यम से कराये जाने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर जिलाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा। विद्यालय प्रबन्ध समिति के माध्यम से योजना का संचालन कराये जाने की स्थिति में विद्यालय स्तरीय मध्यान्ह भोजन निधि का संचालन विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा तथा योजना सम्बन्धी खाद्यान्न को प्राप्त करने तथा उसका उपयोग करने सम्बन्धी कार्य भी उपरोक्त समिति द्वारा किया जाएगा। योजना का संचालन विद्यालय प्रबन्ध समिति को हस्तान्तरित किए जाने की स्थिति में पूर्व कार्यदायी संस्था अपने पास अवशेष खाद्यान्न की मात्रा व परिवर्तन लागत की धनराशि को विद्यालय प्रबन्ध समिति को तत्काल हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करेगी।

भवदीय,

/

(अमृता सोनी)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एंव दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. **सचिव**, बेसिक शिक्षा, अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन।
2. **समस्त मण्डलायुक्त**, उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त जिलाधिकारी**, उत्तर प्रदेश।
4. **समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक)**, उत्तर प्रदेश।
5. **समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी**, उत्तर प्रदेश।

(अमृता सोनी)
निदेशक